

16/10/19

पत्रावली प्रश्न प्रार्थी वकील उप०।

पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी वकील को भाडे शिमा दिनांक 08/11/16 को विप्रार्थीगण की लक्ष्मी हेतु नगीस पुनः पेश करने हेतु भाडे शिमा दिनांक 08/11/16 को विप्रार्थीगण पर्याप्त धरणा दिए गये, लेकिन प्रार्थी वकील द्वारा नगीस पेश नहीं किया गया, स्पष्ट होता है कि प्रार्थी वकील अपने आवेदन को लेकर गंभीर नहीं है। अतः प्रार्थी का आवेदन अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फल शुमार हेतु बाकि पक्ष को सूचना से कठ हो।

16/10/19
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन